बिजली की निर्बाध आपूर्ति होगी ऑन योर ट्रांसफार्मर स्कीम से

कार्यालय प्रतिनिधि

पटना: अब एलटी उपभोक्ताओं के बीच बिजली की निर्बाध आपूर्ति होगी। आए दिन जो लो-वोल्टेज, वोल्टेज फ्लकचूएशन, विद्युत उपकरणों के जलने की समस्या, ट्रांसफार्मर के जलने/ खराब होने, ओवरलोडेड होने के कारण होनी वाली असुविधा, अनावश्यक ट्रीपिंग एवं बार-बार फ्यूज उड़ने की समस्या से उपभोक्ताओं के बीच बिजली की गंभीर समस्या उत्पन्न होती रही है, इस नई स्कीम के इस्तेमाल से बिजली संबंधित सभी समस्या से पूरी तरह निजात मिल जाएगी। नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूसन कंपनी लि. ने एलटी उपभोक्ताओं के लिए ऑन योर ट्रांसफार्मर स्कीम जारी किया है। यह स्कीम उपभोक्ताओं के लिए एक जुलाई से प्रभावी हो जाएगा। यह योजना 7 किलोवाट/ 10 एचपी या उससे अधिक 70 किलोवाट/ 99 एचपी या उससे कम के स्वीकृत भार अथवा संविदा भार वाले सभी लो-टेनशन उपभोक्ताओं अथवा उपभोक्ता समूह के लिए उपलब्ध है। 7 किलोवाट/10 एचपी से कम स्वीकृत भार अथवा संविदा भार वाले निम्न एलटी उपभोक्ताओं अथवा उपभोक्ता समूह

▸▸ बिजली विभाग ने एलटी उपभोक्ताओं के लिए जारी किया नया स्कीम

▸▸ स्कीम के तहत न तो लो-वोल्टेज और न हीं फ्यूज उड़ने की समस्या उत्पन्न होगी

▸▸ उपभोक्ताओं को थ्री फेज से बिजली उपभोग करने के लिए मिलेगा

इसका लाभ नहीं ले सकते। इस स्कीम का उपयोग आवासीय अपार्टमेंट, वाणिज्यक परिसर, प्रशासनिक कार्यालयों के परिसर, दुकान, मार्केटिंग कम्पलेक्स, ग्रामीण उपभोक्ता अथवा ग्रामीण उपभोक्ताओं का समूह, शहरी उपभोक्ता अथवा शहरी उपभोक्ताओं का समूह तथा समरूप उपभोक्ता श्रेणी के लिए उपलब्ध

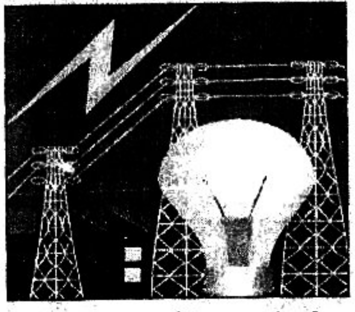

है। जिनका कुल आवेदित अथवा स्वीकृत निम्न विभव पर विद्युत भार 7 किलोवाट या उससे अधिक पर 70 किलोवाट या उससे कम हो।

इस योजना से उपभोक्ताओं को मिलने वाले प्रमुख लाभ

एलटी उपभोक्ता को निम्न विभव के दर पर उच्च विभव उपभोक्ता को मिलने वाला लाभ प्राप्त होगा तथा लगाए गए वितरण ट्रांसफार्मर से संबंधित उपभोक्ता एवं उपभोक्ता समूह के पूर्ण स्वामित्व में होंगी तथा इससे अन्य उपभोक्ताओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा। उपभोक्ताओं को नए पुराने ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन लागत दर पर कंपनी से ले सकते हैं।

क्या है योजना

इस योजना के तहत एलटी के वर्तमान उपभोक्ता या उनका समूह अथवा नये विद्युत संबंध के लिए आवेदन करने वाले उपभोक्ता या उनका समूह इसका विकल्प अपने विहित आवेदन में देंगे कि वह अपने निम्न एलटी पर विद्युत आपूर्ति के लिए खुद हीं निर्धारित क्षमता के वितरण ट्रांसफार्मर की अधिष्ठापन अपने परिसर में स्वयं करेंगे या लाइसेंसी के द्वारा करायेंगे।

▸ अधिष्ठापित वितरण ट्रांसफार्मर का रख रखाव एवं दोषपूर्ण होने पर बदलने का कार्य संबंधित उपभोक्ता अथवा उपभोक्ता समूह स्वयं करेंगे।

▸ वर्तमान उपभोक्ता या उनके समूह अथवा नये विद्युत संबंध के लिए आवेदन करने वाले उपभोक्ता या उनके समूह को यह विकल्प होगा कि वह लाईसेंसी द्वारा हीं इस योजना के तहत वितरण ट्रांसफार्मर के आपूर्ति एवं अधिष्ठापन करा लें।

▸ ऐसे अनुरोध पर लाईसेंसी, निर्धारित दर पर आवेदक को नये वितरण ट्रांसफार्मर एवं अन्य सामान उपलब्धता के आधार पर अधिष्ठापित करा सकता है। आवेदक के लिए वितरण ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराना लाईसेंसी की बाध्यता नहीं होगी।

▸ बिजली विभाग के पुराने ट्रांसफार्मर भी उपलब्धता के आधार पर निर्धारित दर (नए ट्रांसफार्मर के वर्तमान दर का एक तिहाई) पर अधिष्ठापित किये जा सकते हैं।

▸ बिजली विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये नये वितरण ट्रांसफार्मर के गारंटी अवधि में दोषपूर्ण होने पर जांचोपरांत उपभोक्ताओं द्वारा दोषपूर्ण ट्रांसफार्मर को कंपनी के संबंधित स्टोर में जमा कराने के उपरांत नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन बदलने का कार्य उपभोक्ता खुद अपने खर्च पर करायेंगे।

▸ इस योजना के तहत उपभोक्ता अथवा समूह को स्वीकृत भार अथवा उसके द्वारा आवेदित कुल विद्युत भार के अधिक कम 150 प्रतिशत क्षमता का ही वितरण ट्रांसफार्मर निम्न एलटी उपभोक्ता अथवा समूह अपने परिसर में अधिष्ठापित करा सकते हैं।

▸ अगर 150 प्रतिशत की क्षमता के अनुरूप वितरण ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं हो तो वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता में दस प्रतिशत तक अतिरिक्त क्षमता अनुमान्य होगी, ताकि उपभोक्ता के स्टैण्डर्ड कैपसिटी ट्रांसफार्मर का क्रय कर सके।

28.6.2013